दिनांक–30.01.2019 को प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में खादी प्रक्षेत्र की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–संलग्न सूची के अनुसार।

प्रधान सचिव महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की गई एवं विचार–विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया, जो निम्नवत् है :–

क्र0	प्रस्ताव सं0	बिन्दु	अनुपालन
1	2	3	4
1	06	जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को दरभंगा के जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने एवं तदोपरान्त इस संदर्भ में दिनांक–27.12.2018 तक इसके विकास हेतु G.T India के सहयोग से Tender प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।	जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं G.T India द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण की गई एवं DPR Proposed Layout (प्रस्तावित कार्य योजना) प्रस्तुत की गई है। जिसमें खादी के प्रचार–प्रसार हेतु CFC एवं खादी म्यूजियम तथा पार्क सम्मिलित हैं। सर्वप्रथम उक्त स्थल पर अतिक्रमण होने के कारण बाउन्ड्री वॉल बनाने हेतु आयडा को कहा गया एवं पत्र दिया गया है। जिला कार्यालय, दरभंगा में CFC, खादी म्यूजियम तथा पार्क निर्माण के लिये G.T India द्वारा Layout Plan दिया गया है, जिसपर आयडा द्वारा Tender प्रकाशित करने हेतु DPR तैयार कर शीघ्र Tender प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है तथा उक्त भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसे शीघ्र हटाने हेतु जिला पदाधिकारी, दरभंगा से मिलकर कार्रवाई की जाय तथा इस भूमि पर शीघ्र बाउन्ड्री वॉल आयडा द्वारा बनाया जाय।

Scanned by CamScanner

2	14	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर उचित योजना के प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया।	1. घुंघड़ीटाड़, गया के खाली जमीन पर आयडा द्वारा खादी ग्रामोद्योग मॉल, खादी उत्पादन सह बिक्री केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, खादी स्कूल एवं हॉस्टल तथा कार्यालय भवन हेतु रू0– 25,98,26,300/– का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गई है। खादी बोर्ड द्वारा रू0–25,98,26,300/– की प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि आयडा को उपलब्ध कराने हेतु उद्योग विभाग को अनुरोध किया गया है। (पत्रांक–प्र0/606 दिनांक–19.12.2018)। घुंघड़ीटाड़, गया में खादी बोर्ड के खाली जमीन पर आयडा द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग का मॉल, प्रशिक्षण केन्द्र, खादी स्कूल, हॉस्टल तथा कार्यालय भवन का निर्माण आदि के Tender प्रकाशित किया गया है, जिसका कुल प्राक्कलन की राशि रू0–25,98,26,300/– है। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि आयडा द्वारा कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाय। अगले वित्तीय वर्ष में इस राशि का बजट उपबंध किया जा रहा है। 2.चहार निर्माण–घुंघरीटाड़, गया एवं परियारी (अरवल) के जमीन का चहारदीवारी निर्माण हेतु मार्च, 2018 में रू0–88,00,000/– (अट्ठासी लाख रूपये) का भुगतान आयडा को किया गया है, लेकिन चहारदीवारी निर्माण का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। आयडा शीघ्र कार्य समाप्त कर उपयोगिता उपलब्ध कराये।
3	15	31 जनवरी, 2019 के पूर्व Amazon एवं Flipkart के साथ MOU Sign. कर E-marketing करने हेतु G.T India को निदेश दिया गया।	G.T. India को Amazon से MOU Sign.कराने एवं Flipkart से Vendor Registration हो चुका है। Amazon से दिनांक– 13.02.2019 को MOU Sign.किया जायेगा। इसके लिए बोर्ड एवं G.T आवश्यक तैयारी करें।

Scanned by CamScanner

4	16	खादी बोर्ड की जमीन पर मधु प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित करने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई। साथ ही इच्छुक मधुपालकों से इसकी स्थापना किये जाने हेतु G.T India को विज्ञापन तैयार कर प्रकाशित कराने का निर्णय लिया गया।	दिनांक–11.01.2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। प्रधान सचिव, उद्योग द्वारा निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से मिलकर कार्रवाई करें एवं शीघ्र निविदा प्रकाशित किया जाय। (i)बैठक में विचार–विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि मधु के लिए एक टेस्टिंग लैब की स्थापना बिहार राज्य खादी बोर्ड, पटना में बनने वाले भवन में किया जाए। टेस्टिंग लैब की स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाय ताकि भवन बनने के उपरांत इसे चालू किया जा सके।
5	17	बिहार फाउन्डेशन के माध्यम से कोच्चि में 4000 वर्ग फीट खुलने वाले शो–रूम हेतु इच्छुक शो–रूम संचालन PPP के माध्यम से चलाने हेतु चयन किया जा सकता है एवं श्री राजा सेतु नाथ, निदेशक, केरला चेम्बर ऑफ कॉमर्स को मुख्य संरक्षक के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया। शो–रूम की स्थापना हेतु G.T India को एकरारनामा के अनुरूप कार्रवाई करने एवं शो–रूम स्थापना करने के निदेश के साथ संपुष्टि की गई। साथ ही अन्य शहरों में शो–रूम स्थापना के संदर्भ में अद्यतन प्रगति G.T. India को अवगत कराने का निदेश दिया गया।	बिहार से बाहर बिहार इम्पोरियम खोलने हेतु कोच्चि केरल में स्थान चिन्हित कर ली गई है एवं Layout बनाकर G.T India को द्वारा दिया गया है। कोच्चि में बिहार इम्पोरियम खोलने हेतु इच्छुक श्री राजा सेतु नाथ जी के साथ Term and Condition पर निर्णय लेकर 1 मार्च तक इम्पोरियम खोला जाय।
6	18	इस संदर्भ में सभी 9 प्रमंडल में बिहार हाट की स्थापना हेतु PPP मोड में खोलने पर सहमति प्रदान की गई एवं इस हेतु एक News paper Add G.T. India द्वारा तैयार कर प्रकाशित करने हेतु निदेश दिया गया।	दिनांक–11.01.2019 को विज्ञापन प्रकाशित करा दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी निवेशक या अन्य से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसलिए निर्णय लिया गया कि 09 प्रमणडल में पुनः विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय कि बिहार हाट के लिए सभी तरह के इन्फ्रास्टकचर बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना का निर्माण कराया

Scanned by CamScanner

			जाएगा, सिर्फ इस हाट को चलाने की जिम्मेवारी देने हेतु प्राईवेट पार्टी/इन्भेस्टर को आमंत्रित किया जाय।
7	19	दिनांक–01.12.2018 को निर्गत कार्यवाही में कंडिका–19 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में संस्थाओं द्वारा किये गये Online आवेदन के उपरान्त नियमानुसार मार्जिन मनी प्राप्त कर यथाशीघ्र 25–25 चरखा एवं 5–5 लूम उपलब्ध कराने के निदेश दिया गया।	9 नये संस्था/समिति को 25–25 संख्या में आधुनिक चरखा कुल 225 चरखा का वितरण करने का आदेश दिया गया है। फरवरी माह के अन्त तक वितरण सुनिश्चित किया जाय।
8	20	बिहार के प्रत्येक जिला में जीविका के 10% लोगों को सूत कताई का प्रशिक्षण देना एवं KVIC में निबंधन कराने का निदेश दिया गया।	जीविका समूह को खादी और ग्रामोद्योग आयोग में G.T. India द्वारा Online निबंधन की प्रक्रिया कर दी गई है। KVIC द्वारा स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। भोजपुर जिला में 6 समूह को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका से मिलकर अन्य जिला में इसका विस्तार किया जाय तथा जहाँ–जहाँ पर जीविका समूह इच्छुक है वहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाय। प्रशिक्षण के लिए उद्योग निदेशक से बजट के अनुसार राशि प्राप्त की जाय।
9	21	G.T. India को खादी संस्थाओं में लगे कामगारों को RTGS के माध्यम से किये गये भुगतान एवं Bank Statement प्राप्त करने का निदेश दिया गया है। यह कार्य 31 जनवरी, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाय।	बोर्ड द्वारा बैंक के माध्यम से कतिन/बुनकरों को मजदूरी भुगतान करने हेतु संस्था/समिति को पत्र दिया गया है। 15 संस्थाओं द्वारा बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। शेष संस्थाओं से भी बैंक के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। इसके लिए खादी संस्थाओं के साथ एक बैठक कर इस कार्य को पुरा किया जाय।

Scanned by CamScanner

10	22	5 जनवरी,2019 तक बुनाई प्रशिक्षण का कार्य आरंभ करने का निदेश दिया गया।	भागलपुर एवं मधुबनी जिला में 2 संस्था/समिति को बोर्ड द्वारा बुनाई का प्रशिक्षण देने हेतु आदेश निर्गत कर दिया गया है एवं प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। और अधिक प्रशिक्षण के लिए उद्योग निदेशक से राशि प्राप्त की जाय।
11	23	सिल्क सिटी की स्थापना हेतु BSIDC के द्वारा उपलब्ध कराने पर सहमत भू-खण्ड पर किये जाने हेतु उत्पादकों का फेडरेशन बनाकर तथा भागलपुर में रेशम प्रक्षेत्र के कैम्परा में यथाशीघ्र कोकून बैंक की स्थापना किये जाने का निदेश। इस संबंध में CEO द्वारा G.T. India के साथ भागलपुर भ्रमण कर निर्णय लिया जायेगा।	G.T India द्वारा EOI का Advertisement Design करके बोर्ड को उपलब्ध कराया गया है। विज्ञापन प्रकाशन कराने हेतु उद्योग मित्र को दिनांक–28.01.2019 को भेजा गया है।
12	24	इस हेतु PMA को निदेश दिया गया कि बोर्ड की जमीन पर या BSIDC के जमीन पर CFC तैयार करने हेतु EOI/RFP G.T. India द्वारा तैयार कर प्रकाशन 7 जनवरी, 2019 के पूर्व करने का निदेश दिया गया।	G.T India द्वारा EOI का Advertisement Design करके बोर्ड को उपलब्ध कराया गया है। विज्ञापन प्रकाशन कराने हेतु उद्योग मित्र को दिनांक–28.01.2019 को भेजा गया है।
13	25	G.T. India LLP को निदेश दिया गया कि EOI/RFP का प्रकाशन7 जनवरी, 2019 के पूर्व करने के निदेश दिया गया।	G.T India द्वारा EOI का Advertisement Design करके बोर्ड को उपलब्ध कराया गया है। विज्ञापन प्रकाशन कराने हेतु उद्योग मित्र को दिनांक–28.01.2019 को भेजा गया है।
14	26	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं KVIC में आवेदनों को और अधिक संख्या में आने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाय। विज्ञापन प्रारूप को KVIC को भी दिखा लिया जाय।	दिनांक–11.01.2019 को विज्ञापन प्रकाशित करा दिया गया है।

15. वर्ष 2018–19 में प्राप्त राशि की व्यय विवरणी।

क्र0	विवरण	बजट की राशि	प्राप्त राशि	व्यय	शेष
1.	प्रस्थापन मद (2017–18)	21645001.00 (संशोधित बजट)	9542000.00	21645001.00	12103001.00 (अप्राप्त)
2.	प्रस्थापन मद (2018–19)	25113516.00	25113516.00	10430908.52	14682607.48

Scanned by CamScanner

3.	पी0एम0ए0	10000000.00	10000000.00	10000000.00	—

16. खादी पुर्नरूद्धार योजना की प्रगति।

		संख्या	राशि
I	त्रिपुरारि मॉडल चरखा का वितरण–	1000 नग के लिए	1,59,99,000.00
II	न्यू मॉडल चरखा का वितरण–	715 नग के लिए	1,12,97,000.00
III	कटिया चरखा का वितरण–	930 नग (50%)	19,87,875.00
		880 नग (40%)	15,04,800.00
IV	कार्यशील पूँजी –	385 नग के लिए	2,37,72,000.00
V	न्यू मॉडल लूम की 50% राशि उपलब्ध कराई–	176 नग के लिए	26,40,000.00
VI	लूम स्थापित कर लिये जाने पर संस्था/समिति को 40% राशि दी गई–	74 नग के लिए	8,88,000.00

VII प्रशिक्षण–

	स्थान	समूह
खादी सूत कताई प्रशिक्षण कार्यक्रम दो जीविका समूह द्वारा	1. ब्रहमपुरा 2. बड़हरा ब्लॉक–बड़हरा जिला–भोजपुर	25X4=100 प्रशिक्षणार्थी
	3. सर्वोदय आश्रम बलवापुर, अस्थावॉ जिला–नालन्दा	25X1=25 प्रशिक्षणार्थी
	4. भगवानपुर ग्रामोदय सहयोग समिति लि0, जिला–मधुबनी	25X1=25 प्रशिक्षणार्थी
	5. कुलसुम मेमोरियल महिला विकास संस्थान, जिला–मधुबनी	25X1=25 प्रशिक्षणार्थी
6. बाबा खादी ग्रामोद्योग संस्थान, जिला–भोजपुर–		25X1=25 प्रशिक्षणार्थी

17.खादी ब्रॉडिंग–

बिहार खादी Logo का रजिस्ट्रेशन G.T. India LLP द्वारा फाईल किया गया है।
GS1 India से खादी का बार कोडिंग किया गया है, जिसे www.gs1india.org पर देखा जा सकता है।

18.Buyer Seller meet in kochi, selam and Mumbai –

G.T. India LLP द्वारा केरल के कोच्चि शहर में (दिनांक–05.10.2018 से 07.10.2018 तक), तमिलनाडु के सेलम शहर में (09.10.2018 से 11.10.2018 तक) एवं महाराष्ट्र के मुम्बई शहर में (13.12.2018 से 16.12.2018 तक) क्रेता–विक्रेता meet का

Scanned by CamScanner

आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के 20 खादी एवं ग्रामोद्योग की संस्थाओं ने भाग लिया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ तथा बंगाल के कलकत्ता में आयोजन किया जाय। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के ऐसे शहरों में भी Buyer Seller Meet का आयोजन किया जाय, जहाँ पर कूकून के लिए बाजार उपलब्ध हो।

19. प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना की साधारण बैठक 15 फरवरी, 2019 को बुलाया जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

विश्वासभाजन

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– का० 220 / पटना, दिनांक– 11/2/2019

प्रतिलिपिः–1. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. ग्रांट थोर्टन, परामर्शी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. बैठक में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,
बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner